२१७/
आदेश से रीडर

30-5-17 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादिया श्रीमती धोली देवी (पत्नी) तथा श्रीमती शान्ति (पुत्री) द्वारा मांगीलाल S/O नन्दा के हक-हिस्से की भूमि में से पैतृक आराजियात होने से ग्राम बावड़ी की कुल किता आ.नं. 339, 340, 341, 342, 343, 344 व 346 कुल किता 7 कुल रकबा 10.16 बीघा में वादीगण का हक-हिस्सा 2/3 होकर वादीगण के हक-हिस्से में दर्ज किया जावे।
—लगातार—

२१।५।१७

पी पेश हुयी उपयपस
अर्क सस्पेंड/कांडलेस है।...
एक आदेश में दिनांक
पेश हो

आदेश से रीडर

30/5/17 प्रकरण में वादिया द्वारा श्री भोगीलाल s/o नन्दा द्वारा नामान्तरण सं- 254 व 285 में पंजीकृत विक्रय पत्र से नन्दराम व उदयलाल s/o देवीलाल के पक्ष में दर्ज नामान्तरण की प्रति पेश की है। प्रार्थीया उक्त विक्रय पत्र में बेचान की गई भूमि में से 2/3 हक हिस्सा चाहती है। हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अन्तर्गत पुत्री ~~[illegible]~~ का हक-हिस्सा संशोधन दिनांक 9/9/05 से पूर्व पिता के जीवनकाल में प्रारम्भ नहीं होता है तथा पत्नी का हक-हिस्सा पति के जीवन काल में प्रारम्भ नहीं होता है। वादीगण द्वारा खातेदार भोगीलाल द्वारा अपने जीवनकाल में विक्रय की गई भूमि में से हक-हिस्सा चाहा गया जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अन्तर्गत देय नहीं है। खातेदार श्री भोगीलाल द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्रों से भूमि का बेचान हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के संशोधन दिनांक 9/9/05 से पूर्व किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। निर्णय मजेम आम में सुनाया जाकर फैसल शुमार हो। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, भीलवाड़ा